

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: आदेश ::—

श्री रणवीर सिंह भाटी, जन्मतिथि 20.06.1959, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर इनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक 12.06.2018 के आधार पर सिविल सेवाएं पेंशन नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत दिनांक 01.10.2018 से राजकीय सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणवीर सिंह भाटी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन के कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहीयां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : ०५/७/१८

क्रमांक: शिचिरा/मा/साप्र/बी-1/3104/2013-14/221

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, बीकानेर
3. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, बीकानेर
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, बीकानेर
5. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा
6. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक/निजी गार्ड पंजिका



उप निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

--: आदेश :-

श्री नरेन्द्र कुमार श्रीमाली, जन्मतिथि 20.04.1961, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, नागौर इनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक 07.06.2018 के आधार पर सिविल सेवाएँ पेन्शन नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत दिनांक 06.07.2018 से राजकीय सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री नरेन्द्र कुमार श्रीमाली, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन के कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहीयां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस


निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 04/7/18

क्रमांक: शिविरा/मा/साप्र/बी-1/3104/2013-14/220

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग, अजमेर
3. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, अजमेर
4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, नागौर
5. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा
6. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक/निजी गार्ड पंजिका



उप निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर